प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी विमला देवी पत्नी श्री हरिओम, निवासी जनपद-इटावा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी विमला देवी पत्नी श्री हरिओम (दिनांक 06.09.2025 तक 31 वर्ष), बिहारीपुर, पोस्ट-सामोह, लहरिया, थाना-भरथना, जनपद-इटावा की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 21.10.2023 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 15 दिन के बच्चे का अपहरण करने की घटना कारित की गयी है। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-32/2024 में भा0द0वि0 की धारा-363 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0अधि0)/अपर सत्र न्यायाधीश कोट सं0-12, इटावा के आदेश दिनांक 02.06.2025 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 06.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 10 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 10 माह 20 दिन की सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा महिला बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, महिला बन्दी श्रीमती विमला दिनांक 17.02.2018 को अपने पति हरिओम को छोड़कर दूसरे व्यक्ति मदनलाल निवासी औरैया के साथ चली गयी थी तब से कभी ग्राम बिहारीपुर में नहीं आने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 06.09.2025 तक महिला बन्दी की आयु 31 वर्ष एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 07 वर्ष कारावास के सापेक्ष दिनांक 06.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष 10 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष 10 माह, 20 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, महिला बन्दी की स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी विमला देवी (बन्दी संख्या-2332/2025) पत्नी श्री हरिओम, निवासी जनपद-इटावा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1075/2026/767 (1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।